DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

9 August, 2024

अग्नि बादल (पाइरोक्यूमुलोनिम्बस) बादल

संदर्भ: *अमेरिका और कनाडा में लगी जंगली आग इतनी तीव्र हो गई है कि उसने 'पाइरोक्यूमुलोनिम्बस' बादल उत्पन्न कर दिए हैं, जो तीव्र गड़गड़ाहट उत्पन्न कर सकते हैं और अतिरिक्त आग भड़का सकते हैं।*

➢ **परिभाषा** : पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल, जिन्हें पाइरोक्यूमुलस बादल या अग्नि बादल भी कहा जाता है,इसमें घने क्यूमुलीफॉर्म बादल होते हैं जो तीव्र आग या ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़े होते हैं। वे अग्नितूफान के समान या स्वतंत्र रूप से भी हो सकते हैं।

➢ **गठन** :

- पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल अत्यधिक गर्म जंगली आग या ज्वालामुखी विस्फोट से बनते हैं। उदाहरण के लिए, 2019-2020 की ऑस्ट्रेलियाई बुशफ़ायर ने इन बादलों को तब बनाया जब तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया था।
- गठन प्रक्रिया में शामिल हैं:
  - जब आग की तीव्र गर्मी से आसपास की हवा गर्म हो रही है।
  - गर्म हवा ऊपर उठती है, अपने साथ जलवाष्प, धुआं और राख ले जाती है।
  - जैसे-जैसे हवा ऊपर उठती है, वह ठंडी होकर फैलती है।
  - जल वाष्प राख पर संघनित होकर पाइरोक्यूम्यलस बादल (अग्नि बादल) बनाता है।
  - पर्याप्त जलवाष्प और तीव्र ऊर्ध्व गति के साथ, पाइरोक्यूम्यलस बादल पाइरोक्यूम्यलोनिम्बस बादलों में विकसित हो जाते हैं।
- ये बादल 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और तूफान पैदा कर सकते हैं। वे बिजली तो चमकाते हैं लेकिन बहुत कम बारिश करते हैं, जिससे संभावित रूप से नए जंगल में आग लग सकती है और तेज़, अप्रत्याशित हवाएँ चल सकती हैं।

आग से भरे तूफ़ानी बादल का उदय
पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल कैसे विकसित होता है

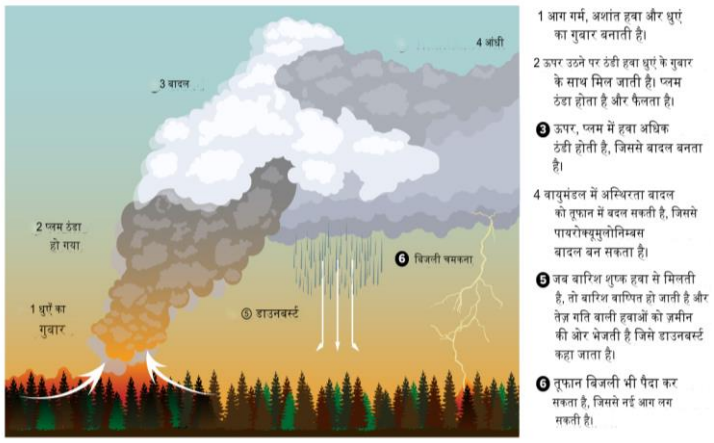

➢ **ऐतिहासिक आंकड़ा:**

- 2023 से पहले, विश्व स्तर पर हर साल औसतन 102 पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल दर्ज किए जाते थे, जिनमें से 50 कनाडा में प्रतिवर्ष देखे जाते थे।
- 2023 के चरम वन्य अग्नि सीज़न के दौरान, अकेले कनाडा में 140 पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल दर्ज किए गए।

➢ **विशेषताएँ** :

- राख और धुएं के कारण अक्सर इसका रंग धूसर से भूरा हो जाता है।
- राख के कारण संघनन नाभिक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वे फैल जाते हैं।

➢ **जंगली आग पर प्रभाव:**

- आग लगने में सहायता या बाधा उत्पन्न कर सकते हैं:
- बादल से नमी संघनित होकर वर्षा के रूप में गिर सकती है, जिससे संभवतः आग बुझ सकती है।
- बड़े पायरोक्यूम्यलोनिम्बस बादल, क्यूम्यलोनिम्बस बादलों (क्यूम्यलोनिम्बस पायरोक्यूम्यलोनिम्बस) में विकसित हो सकते हैं और बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जो नई आग को प्रज्वलित कर सकती है।
- बादल से हवा की गति बढ़ने से जंगल की आग और भड़क सकती है।

➢ **बढ़ती आवृत्ति:**

- इसकी आवृत्ति में वृद्धि अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, क्योंकि इन बादलों पर अध्ययन अपेक्षाकृत नया है।
- ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन इसमें योगदान देता है, क्योंकि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं तथा इससे पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों की घटना में भी वृद्धि हो सकती है।

➢ **अतिरिक्त जानकारी:**

- पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों में गंभीर अशांति के कारण सतह पर तेज हवाएं चल सकती हैं।
- बड़े बादल, खास तौर पर ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्पन्न बादल, आवेश पृथक्करण और बर्फ निर्माण के कारण बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 2017 में औपचारिक रूप से इन बादलों को "पाइरोक्यूमुलोनिम्बस" नाम दिया, जो पिछले वर्गीकरणों को बदल देता है।

वक्फ बोर्ड

संदर्भ *: हाल ही में सरकार ने वक्फ बोर्डों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है।*

➢ **वक्फ क्या है?**

- वक्फ, ईश्वर के नाम पर समर्पित, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का इस्लामी बंदोबस्त है।
- एक बार वक्फ घोषित हो जाने के बाद संपत्ति को बेचा, विरासत में या उपहार में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह अल्लाह की संपत्ति है।

➢ **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

- वक्फ की अवधारणा लंबे समय से अस्तित्व में है, लेकिन भारत में औपचारिक वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 के वक्फ अधिनियम के साथ हुई थी।
- इस अधिनियम को वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे बाद में प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार के लिए वक्फ अधिनियम 2013 द्वारा अद्यतन किया गया था।

➢ **वक्फ अधिनियम 1995**

- वक्फ को पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति के स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है।
- संपत्ति पंजीकरण और प्रबंधन के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई।
- वक्फ परिषदों, राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों को रेखांकित करता है।
- इसमें मुतवल्लियों (प्रबंधकों) के कर्तव्यों और वक्फ न्यायाधिकरणों की शक्तियों का विवरण है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

9 August, 2024

वक्फ बोर्ड

- **परिभाषा**
  - भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और विनियमन करने वाली एक वैधानिक संस्था, जो राज्य सरकार की देखरेख में कार्य करती है।
  - इसे केंद्रीय वक्फ परिषद से सलाहकार समर्थन के साथ एक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **कार्य**
  - **रखरखाव** : यह वक्फ संपत्तियों का उचित रखरखाव और उपयोग सुनिश्चित करता है।
  - **पंजीकरण** : यह सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करता है।
  - **प्रशासन** : यह धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करता है।
  - **पर्यवेक्षण** : इसके द्वारा वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले मुतवल्लियों (संरक्षकों) की देखरेख करना शामिल है।
- **वक्फ बोर्ड के प्रकार**
  - **सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड:** सुन्नी संप्रदाय के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करता है और प्रमुख विवादों को संभालता है।
  - **शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड:** शिया संप्रदाय की संपत्तियों का प्रबंधन करता है, तथा उचित उपयोग के लिए अन्य बोर्डों के साथ समन्वय करता है।
- **संघटन**
  - **अध्यक्ष** : बोर्ड का नेतृत्व करता है।
  - **राज्य सरकार द्वारा नामित:** यह नियुक्त प्रतिनिधि है।
  - **विधायक और सांसद:** मुस्लिम समुदाय के राज्य प्रतिनिधि।
  - **राज्य बार काउंसिल के सदस्य:** मार्गदर्शन प्रदान करने वाले कानूनी विशेषज्ञ।
  - **मुतवल्ली** : उच्च आय वाली वक्फ संपत्तियों के प्रबंधक।
  - **इस्लामी विद्वान:** निर्णय लेने में शामिल धार्मिक विशेषज्ञ।
- **शक्तियां**
  - **निरीक्षण** : संपत्तियों और खातों का निरीक्षण कर सकते हैं।
  - **नियुक्ति मुतवल्लियों का अधिकार:इसमें** मुतवल्लियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार है।
  - **कानूनी कार्रवाई:** अतिक्रमण या दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
  - **ऑडिट** : वक्फ खातों और संपत्तियों का ऑडिट करता है।

मौद्रिक नीति

संदर्भ: *हाल ही में लगातार नौवीं बार, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 8 अगस्त को बेंचमार्क रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा।*

परिभाषा : इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने हेतु उपयोग किया जाने वाला एक व्यापक आर्थिक नीति उपकरण, जैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, रोजगार का प्रबंधन करना और अर्थव्यवस्था को स्थिर करना शामिल है।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य

- आर्थिक विकास में तेजी लाना
- मूल्य स्थिरता बनाए रखना
- रोजगार सृजन
- विनिमय दर को स्थिर करना

मौद्रिक नीति के प्रकार

- **विस्तारवादी मौद्रिक नीति**
  - इसे समायोजनकारी मौद्रिक नीति के नाम से भी जाना जाता है।
  - यह ब्याज दरों में कमी, आरक्षित आवश्यकताओं को कम करने और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करके मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है।
  - इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और बेरोजगारी को कम करना है, लेकिन इससे अति मुद्रास्फीति हो सकती है।
- **संकुचनकारी मौद्रिक नीति**
  - यह ब्याज दरें बढ़ाकर, आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि करके और सरकारी बांड बेचकर मुद्रा आपूर्ति कम कर देता है।
  - इसमें मुद्रास्फीति को कम करने का लक्ष्य होता है।

भारत में मौद्रिक नीति

- **2016 से पूर्व** : इसे एक तकनीकी समिति के परामर्श समर्थन के साथ, पूरी तरह से आरबीआई गवर्नर द्वारा तैयार किया गया।
- **2016 के बाद** : वित्त अधिनियम ने मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की स्थापना की गई।

भारत में मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति – लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) ढांचा

- **पृष्ठभूमि** : विकास को समर्थन देते हुए मूल्य स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2016 में इसे प्रस्तुत किया गया था।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - केंद्र द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में आरबीआई के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
  - इसमें 2021-25 के लिए लक्ष्य 4% ± 2% है।
  - शीर्षक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति प्रमुख संकेतक है।
- **कार्य** :
  - स्थिरता और पारदर्शिता प्रदान करता है
  - इसके द्वारा आरबीआई की जवाबदेही बढ़ाई गई
- **दोष** :
  - यह नीति समायोजन में आरबीआई के लचीलेपन को सीमित करता है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

- **स्थापना** : उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के बाद, 2016 के वित्त अधिनियम द्वारा निर्मित हुआ।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - इसकी वर्ष में कम से कम चार बार बैठक होती है।
  - इसमें चार वर्ष के कार्यकाल के लिए छह सदस्य होते हैं।
  - बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है।
- **संघटन** :
  - आरबीआई गवर्नर (अध्यक्ष)।
  - मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर।
  - आरबीआई बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी।
  - केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

9 August, 2024

भारत में मौद्रिक नीति उपकरण

- **मात्रात्मक उपकरण:** ऋण की लागत और मात्रा को नियंत्रित करना।
- **बैंक दर:** यह उधार लेने की लागत में परिवर्तन करके मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करती है।
- **आरक्षित आवश्यकताएँ:** इसमें उधार के लिए उपलब्ध धन को विनियमित करने के लिए सीआरआर और एसएलआर शामिल हैं।
- **तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ):** यह रेपो और रिवर्स रेपो दरों के माध्यम से दिन-प्रतिदिन की तरलता का प्रबंधन करती है।
- **सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ):** यह बैंकों को दंडात्मक दर पर आपातकालीन वित्तपोषण प्रदान करती है।
- **खुले बाजार परिचालन (ओएमओ):** यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री करती है।
- **बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस):** इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता वापस ले ली जाती है।
- **टर्म रेपो:** यह लंबी अवधि के लिए तरलता प्रदान करता है।
- **गुणात्मक उपकरण:** ऋण के उपयोग और दिशा को नियंत्रित करना।
- **मार्जिन आवश्यकताएँ:** यह विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को नियंत्रित करता है।
- **उपभोक्ता ऋण विनियमन:**यह उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए ऋण शर्तों को समायोजित करता है।
- **नैतिक दबाव:** यह बैंकों को नीति निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है।
- **प्रत्यक्ष कार्रवाई:** गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाया जाता है।
- **ऋण की राशनिंग या ऋण सीमा:** ऋण राशि पर सीमा निर्धारित करती है।
- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण:**यह कृषि और लघु उद्यमों जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों को ऋण देने का अधिदेश देता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

रेपो दर

केंद्रीय बजट के बाद अपनी पहली बैठक में, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार नौवीं बार नीति रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

रेपो दर के बारे में:

- रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारत में वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देता है।
- रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार लेने की लागत को प्रभावित करके अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करना है।
- रेपो दर अर्थव्यवस्था में एक आधारभूत ब्याज दर है जब अर्थव्यवस्था स्वस्थ रूप से बढ़ रही होती है क्योंकि यह ब्याज की सबसे कम दर होती है जिस पर धन उधार लिया जा सकता है।
- रेपो दर में वृद्धि से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और ऋण ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जबकि कमी से उधार लेने की लागत कम हो जाती है, तरलता बढ़ती है और आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) आर्थिक विकास पर विचार करते हुए 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेपो दर निर्धारित करती है।
- दर निर्णयों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में आर्थिक संकेतक और समग्र मौद्रिक नीति लक्ष्य शामिल हैं।

एंटी-रोमियो स्क्वॉड

उत्तर प्रदेश सरकार अपने एंटी-रोमियो स्क्वॉड को फिर से सक्रिय करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाना था।

एंटी-रोमियो स्क्वॉड के बारे में:

- एंटी-रोमियो स्क्वॉड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए गठित विशेष पुलिस दल हैं।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अन्य प्रकार के यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- ये स्क्वॉड सार्वजनिक स्थानों पर गश्त करते हैं, संभावित अपराधियों की पहचान करते हैं और उत्पीड़न को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई करते हैं।

AFSPA

हाल ही में, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर विधानसभा को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, (AFSPA) 1958 को हटाने के लिए केंद्र को मना लेगी।

AFSPA के बारे में:

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) 1958 में सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए "अशांत क्षेत्रों" में विशेष शक्तियां प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- इसे शुरू में सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता था।
- इसे आम तौर पर महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों या उग्रवाद का सामना करने वाले क्षेत्रों में लागू किया जाता है, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में।
- AFSPA के तहत, सशस्त्र बलों के कर्मियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और बल प्रयोग करने की शक्ति होती है, जिसमें "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" के लिए आवश्यक समझे जाने पर गोली चलाना भी शामिल है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- यह अधिनियम सशस्त्र बलों को उनके कर्तव्य के दौरान किए गए कार्यों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, उन्हें बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के अभियोजन से बचाता है।
- मानवाधिकार संगठनों द्वारा AFSPA की आलोचना की गई है, जिसमें हत्याएं, गुमशुदगी और सत्ता का दुरुपयोग सहित कथित मानवाधिकार उल्लंघन शामिल हैं।
- AFSPA की कानूनी वैधता भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 2A पर आधारित है, जो संसद को सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करती है।

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व

हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की।

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में:

- गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है, जो मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा पर है।
- यह उदंती-सीतानदी, अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा।
- रिजर्व में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र शामिल हैं।
- यह रिजर्व बाघ, तेंदुए, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िये, सुस्त भालू, भौंकने वाले हिरण, चिंकारा और चीतल सहित कई स्तनपायी प्रजातियों का घर है।
- यह हसदेव गोपद और बरंगा जैसी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है और नेउर, बीजाधुर, बनास, रेहंद जैसी नदियों के साथ-साथ कई छोटी नदियों और नालों के लिए जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।

तुर्काना झील

हाल ही में, यूनेस्को और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के नेतृत्व में तुर्काना झील के 50 वर्षों में पहले व्यापक सर्वेक्षण से झील की उच्च मछली क्षमता का पता चला है।

तुर्काना झील के बारे में:

- तुर्काना झील केन्या के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- यह झील दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील और क्षारीय जल निकाय है, और आयतन के हिसाब से अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील भी है।
- यह ग्रेट रिफ्ट घाटी में स्थित है, जो 249 किलोमीटर लंबी, 44 किलोमीटर चौड़ी, 30 मीटर गहरी है और अपने उत्तरी छोर पर इथियोपिया तक फैली हुई है।
- तुर्काना झील अपने अनोखे हरे-नीले रंग के लिए जानी जाती है और इसे कभी-कभी जेड सागर भी कहा जाता है।
- यह एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है जो मछली पकड़ने के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन करता है और यह पुरातात्विक महत्व का स्थल भी है, जहाँ जीवाश्म खोजों से प्रारंभिक मानव निवास का संकेत मिलता है।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली? – **मुहम्मद यूनुस**
- हाल ही में श्रीलंका-भारत मैत्री आर्क का उद्घाटन किस अभियान के तहत किया गया? – **Plant4Mother**
- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने किस रोगज़नक़ के एक नए क्लेड (जीवशाखा जीव जातियों का समूह) की खोज की, जिससे वैश्विक स्तर पर ज्ञात क्लेड की कुल संख्या छह हो गई? – **कैंडिडा ऑरिस**
- हाल ही में, खगोलविदों ने आकाशगंगा के हृदय के पास किस प्रकार के दस खगोलीय पिंडों की खोज की? – **न्यूट्रॉन तारे**
- संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वर्तमान में भड़की भीषण आग से किस प्रकार के बादल बने हैं, और उनमें क्या क्षमता है? – **पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल जो गड़गड़ाहट पैदा कर सकते हैं और अधिक आग भड़का सकते हैं**